निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 132 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग** के माह मार्च 2018 से जनवरी 2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री सुनील कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आशीष कुमार, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 14/02/2019 से 23/02/2019 तक श्री रणवीर सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखा सर्वश्री अक्षय यादव, रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री हरिओम लेखा परीक्षक द्वारा श्री एस. के. त्यागी व. लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 08/03/2018 से 20/03/2018 तक में सम्पादित किया गया एवं उक्त लेखा परीक्षा में माह 12/2016 से 02/2018 तक के लेखा अभिलेखों की सामान्यतःजांच की गई थी।

1. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग के खंड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संपादित होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यो (राज्य योजना/ जिला योजना/ निक्षेप मद में स्वीकृत मार्ग/सेतु/भवन का निर्माण तथा सुधार) के लिए आवश्यक सर्वेक्षण के उपरांत अधीनस्थ अवर अभियंताओ एवं एवं सहायक अभियन्ताओं के माध्यम से आगणन गठित कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति जारी करने/कराने के लिए उत्तरदायी हैं। समस्त कार्यो के सभी स्तरों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। जिलाधिकारी के अधीन कार्यों की प्रगति अनुश्रवण तथा प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी है। कार्यों के लिए निर्धारित स्तर से निविदा आमंत्रण कार्य प्रगति, अनुश्रवण तथा मानको से संतुष्ट होने पर भुगतान की कार्यवाही किए जाने हेतु उत्तरदायी हैं।

2. बजट

(अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	गत अवशेष	आवंटन	योग	व्यय	अवशेष
2015-16	2245, 3054, 5054	0	2867.54	2867.54	2494.52	72.03
2016-17		0	4116.33	4116.33	4116.33	0
2017-18		0	2712.52	2712.52	2688.00	24.52
2018-19(01/2019)		0	2633.44	2633.44	1248.11	1385.33

3. इकाई को बजट आवंटन एव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**A**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

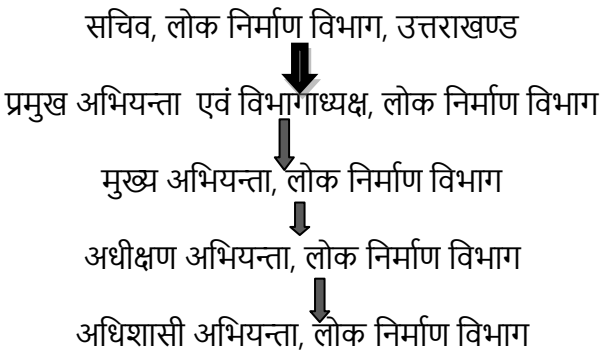

4. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह मार्च 2018 को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया। इसी प्रकार सर्वाधिक व्यय वाले कार्य विजय नगर तैला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया।

5. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 , लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

1. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में निरीक्षण नहीं किया गया।
2. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2018 तथा 09/2018 तक की गई।
3. फार्म 51: माह 01/2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम - ₹ 1203592.00
   भाग द्वितीय - ₹ 1103507.24
4. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 11/2018 के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम - ₹ 564592.37
   (ख) सामग्री क्रय – Nil
   (ग) नगद परिशोधन - Nil
   (घ) निक्षेप- ₹ 70390581.00
   (ङ) भण्डार- ₹ 2135457.00

भाग- दो 'अ'

<u>प्रस्तर-1:</u> कार्य निष्पादन के लिए अनियमित निविदा-प्रणाली को अपनाए जाने तथा तकनीकी विशिष्टि के विरुद्ध महंगे प्राइम कोट के प्रयोग के परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय `1.12 करोड़।

वित्तीय प्रावधानों (वित्तीय हस्त पुस्तिका, खंड-6 का नियम-315 एवं उत्तराखंड आधिप्राप्ति नियमावली-2008 का नियम-30 के अंतर्गत उल्लेखित के व्यवस्था) के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य को निविदा में डाले जाने से पूर्व यह आवश्यक होता है कि कार्य हेतु- शासन से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ प्राप्त हो, विस्तृत आगणन एवं डिजाइन सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत हो तथा व्यय करने हेतु बजट/धनावंटन प्राप्त हो।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड (लो.नि.वि.), रुद्रप्रयाग के अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया था कि शासन द्वारा 'विजयनगर-तेल्ला मोटर मार्ग (19.80 किमी.) के डेढ़ लेन में परिवर्तन एवं बी.एम./ एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरिकरण कार्य' हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सख्या-901/XVIII-(2)/एफ़/14-12(11)/ 2014 दिनांक 26-05-2015 के माध्यम से `2662.33 लाख हेतु प्रदान की थी और मुख्य अभियन्ता द्वारा `2312.60 लाख के लागत की तकनीकी स्वीकृति दो फेजों के अंतर्गत क्रमश: दिनांक 01-09-2014 (फेज-I: `1703.17 लाख) एवं 01-10-2018 (फेज-II: `609.43 लाख) को प्रदान गई थी। प्रथम फेज के कार्यों के अंतर्गत 11 किमी. मार्ग (किमी.-1 से 9 तथा किमी.-17.80 से 19.80 तक) चौडीकरण व बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरिकरण कार्य इस आख्या के साथ स्वीकृत किए गए थे कि मार्ग के शेष 8.80 किमी. भाग (किमी.-10 से 17.80 तक) का चौडीकरण (एक से डेढ़-लेन में परिवर्तन) पी.एम.जी.एस.वाई. खंड- जखोली (रुद्रप्रयाग) के तहत स्वीकृत/ निर्माणाधीन है जिनके द्वारा बिटुमिन स्तर से पहले के समस्त कार्य निष्पादित किए जाएंगे तथा इसके उपरांत मार्ग का हस्तांतरण प्राप्त कर इस भाग में बी.एम./एस.डी.बी.सी. के कार्य अवशेष तकनीकी स्वीकृति के रूप में फेज-II के अंतर्गत किए जाएगे।

लेखा परीक्षा जांच में पाया गया था कि खण्ड द्वारा उक्त मोटर मार्ग के फेज-I कार्यों को दो जॉब में विभक्त कर निविदाएँ फरवरी 2014 में ही आमंत्रित कर ली गई थी, तबतक न तो शासन द्वारा इस कार्य की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति (मई 2014) निर्गत की थी और न ही सक्षम अधिकारी द्वारा विस्तृत आगणन/डिजाइन स्वीकृत (सितम्बर 2014) किए गए थे। यह भी कि मार्ग के चौडीकरण (एक से डेढ़-लेन में परिवर्तन) की मात्राओं को एकमुश्त मदों (Lump-sum item of work) के रूप में आगणित लागतों से अत्यधिक उच्च लागतों अर्थात `380 लाख (385 प्रतिशत) पर निविदा में डाला (फरवरी 2014) गया जबकि उक्त की आगणित/स्वीकृत लागत केवल `98.80 लाख (Hillside cutting in 136638.95 cum) थी। हालांकि, विभागीय लागतों (`380 लाख) के सापेक्ष ठेकेदार की निविदित दरें कम अर्थात `325.00 लाख हेतु थी और एक जॉब (संख्या-2) के लिए ठेकेदार के साथ नेगोसिएशन (Negotiation) उपरांत निविदित दरों को `122 लाख कम किया गया था (जॉब जॉब संख्या-1 हेतु किसी प्रकार का नेगोसिएशन नहीं किया गया था)। तदानुसार, ठेकेदार के साथ क्रमश: `160 लाख एवं `38 लाख के अनुवंध गठित कर कार्य निष्पादन/ भुगतान किए गए थे जो स्वीकृत लागतों से `104.20 लाख अधिक थे।

इस प्रकार, लेखा परीक्षा में पाया गया था कि विभाग द्वारा इस कार्य की निविदाएँ अनियमित रूप से प्रशासकीय/वित्तीय व तकनीकी स्वीकृतियों के बिना ही आमंत्रित की गई थी जिसमे एक कार्यमद (Hillside cutting) की दरें आधारविहीन व काफी उच्च रखी गई थी जिसे न तो विधिवत स्वीकृतियों के उपरांत संसोधित/सुधारा गया और न ही निविदा निस्तारण के दौरान। परिणामस्वरूप, निमन्वत विवरण के अनुसार `104.20 लाख (न्यूनतम: आधार पर क्रम सख्या-8 के अनुसार) की अतिरिक्त भुगतान की देयता बनी थी:

(धनराशि `में)

	विवरण	जॉब संख्या-1	जॉब संख्या-2	योग
1	कार्यमद की स्वीकृत लागत (तकनीकी स्वीकृति के अनुसार)	83,27,609	15,52,837	98,80,446
2	निविदा में डाली गई कार्यमद की लागत (विभागीय लागत)	2,00,00,000	1,80,00,000	3,80,00,000
3	विभागीय लागतों के सापेक्ष ठेकेदार की निविदित दरें/मूल्य	1,65,00,000	1,60,00,000	3,25,00,000
4	विभागीय लागतों के सापेक्ष ठेकेदार की निविदित दरों का प्रतिशत	(-) 17.50 %	(-) 11.11 %	(-) 14.47 %
5	स्वीकृत लागतों के सापेक्ष ठेकेदार की निविदित दरों (क्रम सं.-4 के प्रतिशत अनुसार) का आनुपातिक मूल्य	68,70,277	13,80,317	82,50,594
6	नेगोसिएशन के उपरांत अनुबंध की लागत लागत/भुगतान	1,65,00,000	38,00,000	2,03,00,000
7	**निविदित दरों के अनुपात में अधिक भुगतान (क्र.सं. 6 – 4)**	**96,29,723**	**24,19,683**	**1,20,49,406**

8	**स्वीकृत लागत के सापेक्ष व्ययाधिक (क्र.सं. 6 – 1)**	**81,72,391**	**22,27,163**	**1,04,19.554**

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को स्वीकारते हुए खण्ड द्वारा उत्तर दिया गया था कि मार्ग का आगणन शासन को अत्यंत अल्प अवधि में प्रेषित (फरवरी 2014) किया गया था जिसमें 19.80 किमी. की सम्पूर्ण लम्बाई हेतु अतिरिक्त पहाड़ कटान की गणना औसत चौड़ाई एवं ऊंचाई के आधार पर की गई थी और तदनुसार निविदा में इसकी लागत `380 लाख रखी गई थी। शासन से कार्य की स्वीकृत मई 2014 में प्राप्त होने के उपरान्त विस्तृत सर्वे का कार्य किया गया जिसके उपरान्त पहाड़ कटान की मात्र/लागत का वास्तविक (`98.80 लाख) आंकलन सम्भव हो पाया। प्राविधिक स्वीकृति प्राप्ति (सितम्बर 2014) के बाद दिनांक 03-09-2014 को ठेकेदार से अपने निविदित दरों को कम करने के लिखा गया था परन्तु ठेकेदार ने अपनी दरें कम नहीं की और उसकी के अनुसार भुगतान किए गये। अतः स्वत स्पस्ट था कि यदि कार्य के लिए निविदाएँ स्थापित/वर्णित वित्तीय प्रावधानों के अनूरूप विधिवत स्वीकृतियों के उपरांत आमंत्रित की जाती तो उक्त एकमुश्त कार्यमद की लागत स्वीकृत दरों पर आधारित `98.80 लाख होती और उल्लेखित विवरण के अनुसार `104.20 लाख की अतिरिक्त देयता/भुगतान से बचा जा सकता था।

अतिरिक्त लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया था कि कार्य हेतु मध्य-पोरोसिटी (Medium Porosity) के प्राइम कोट का प्रयोग किया गया था जबकि तकनीकी विशिष्टि-502 के अनुसार उक्त कार्य के लिए न्यून-पोरोसिटी (Low Porosity) के प्राइम कोट का प्रयोग होना चाहिए था। न्यून-पोरोसिटी के प्राइम कोट की तुलना में मध्य-पोरोसिटी के प्राइम कोट की लागत दर लगभग ¼ अधिक थी और उक्त दर-भिन्नता के कारण कार्य पर निम्नविवरणानुसार **`8.01 लाख** अधिक व्यय हुआ जोकि उल्लेखित तकनीकी विशिष्टि के आधार पर परिहार्य था:

कार्य का विवरण	**लागत दर/वर्गमीटर (` में)**		**लागत अन्तर प्रति वर्गमीटर**	**कार्य की मात्रा (वर्गमीटर में)**	**परिहार्य व्यय (` में)**
	मध्य पोरोसिटी	**न्यून पोरोसिटी**			
फेज-1 कार्य (11 km भाग)	40.00*	32.70	7.30	62,262.95 (निष्पादित)	4,45,519
फेज-2 कार्य (8.80 km भाग)	38.20	31.20	7.00	50,820 (निष्पादन हेतु स्वीकृत)	3,55,740
योग					**8,01,259**

**गणना ठेकेदार के निविदित दर `40/ घनमीटर पर आधारित, जबकि इस कार्यमद की आगणित/स्वीकृत दर `41.60/ घनमीटर थी।*

इस प्रकरण को इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा कोई स्पस्ट उत्तर नहीं दिया गया था।

अतः अनियमित निविदा-प्रणाली के अपनाए जाने के परिणामस्वरूप तथा तकनीकी विशिष्टि के वीरुध महगें प्राइम कोट के प्रयोग के कारण हुये **परिहार्य व्यय `1.12 करोड़** (`104.20 लाख + `8.01 लाख) का यह प्रकरण शासन के संज्ञान में लाये जाने हेतु उजागर किया जाता है।

भाग-2 (अ)

प्रस्तर:2- परिहार्य व्यय /व्ययधिक्य ₹49.38 लाख और ठेकेदार से ₹5.43 लाख की वसूली न किया जाना ।

शासन द्वारा SPA-R के अंतर्गत दुर्गाधार-बावई-तिलवाड़ा मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण कार्य हेतु ₹1548.26 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति[1] प्रदान (मार्च-2015) की गयी। कार्य की तकनीकी स्वीकृति[2] मुख्य अभियंता द्वारा समान राशि की प्रदान (अप्रैल-2015) की गयी। खंड द्वारा पुनर्निर्माण कार्यो के अंतर्गत WBM और बिटुमिनस कार्य(BM/SDBC), सुरक्षात्मक कार्य एवं ड्रैनेज कार्य हेतु पृथक-पृथक तीन अनुबंध गठित किए गए। WBM और BM/SDBC कार्य हेतु M/S O P Builders Rishikesh के साथ ₹1190.69 लाख का अनुबंध गठित (*04/SE/2015; Dated 11-06-2015*) किया गया। वर्तमान में ₹1108.79 लाख के व्ययोपरांत निर्माण कार्य प्रगति में है।

IRC/MORTH के तकनीकी प्रावधानों एवं विशिस्टियों (**Para No- 504.3.2. Preparation of the base:** *The base on which bituminous macadam is to be laid shall be prepared, shaped and compacted to the required profile*) एवं विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 803/10 अधिप्राप्ति/2014 दिनांक 02/08/2014 के अनुसार Riding Quality में सुधार हेतु Existing Pavement पर Profile Corrective Course[3] (PCC) किया जाना आवश्यक है।

अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लो. नि. वि. रुद्रप्रयाग के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (फरवरी 2019) में पाया कि, स्वीकृत मोटर मार्ग की कुल लंबाई 21 किमी है, तकनीकी स्वीकृति में किए गए प्रावधानों के अंतर्गत 15 किमी लंबाई मे चौड़ाई बढ़ाने (0.75 मीटर) का कार्य एवं पूर्ण लंबाई मे WBM(G-III) कार्य के साथ BM/SDBC कार्य, सुरक्षात्मक कार्य एवं ड्रैनेज कार्य प्रावधानित किया गया। आगणन एवं देयक की जांच में पाया गया कि, खंड द्वारा मार्ग की पूर्ण लंबाई (21.00 किमी) एवं चौड़ाई (3.75 मीटर) मे WBM(G-III) का कार्य 0.075 मीटर मोटाई मे प्रावधानित एवं निष्पादित किया गया है। WBM(G-III) के प्रावधान के साथ Undulation/PCC कार्य हेतु पृथक से 433.13cum (10%) BM कार्य मद का प्रावधान एवं निष्पादन किया गया। तकनीकी प्रावधानों के अंतर्गत जबकि पूर्ण लंबाई एवं चौड़ाई में WBM(G-III) का कार्य निष्पादित किया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में Undulation/PCC हेतु BM कार्य मद का 10% पृथक से प्रावधान किया जाना IRC/MORTH की प्रावधानों/विशिस्टियों के विरुद्ध है क्योंकि PCC कार्य (proper grade & Camber work/undulation) WBM कार्य मद के अंतर्गत समाहित होता है।

अतः WBM(G-III) कार्य मद के साथ Undulation/PCC हेतु 433.13 Cum BM उपयोग/निष्पादन किया जाने के कारण ₹4937682.00 (433.13 cum x @ ₹11400.00 per cum) का परिहार्य/अधिक व्यय किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि, WBM(G-III) के प्रावधान के बावजूद Pavement की सतह पर Undulation होना एक व्यवहारिक पहलू है। अतः 10% Undulation का प्रावधान एवं निष्पादन किया गया है।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त IRC/MORTH के तकनीकी प्रावधानों एवं विशिस्टियों के अनुसार जब पूर्ण लंबाई और चौड़ाई में WBM का कार्य किया जा रहा हो तो Profile Corrective course या undulation को WBM(G-III) से ठीक किया जाना अपेक्षित है क्योंकि WBM कार्य के अंतर्गत PCC कार्य समाहित होता है।

लेखा परीक्षा द्वारा अभिलेखो की जांच मे यह भी पाया कि, खंड द्वारा आगणन एवं तकनीक स्वीकृति के अंतर्गत BM कार्य मद हेतु SoR No 75007 5-3-1-2-3 [(BM Grading II using 3.5% VG-10 bitumen(By weight of total mix)] को शामिल किया गया तथा लागू दरें (₹9514.90/Cum) ली गयी है। इसी प्रकार SDBC कार्य मद हेतु SoR No 75111 5-15-1-1-2 [(SDBC Grading I using 4.75 % VG-10 bitumen(By weight of total mix)] को शामिल किया गया तथा लागू दरें (₹ 11916.80/Cum)ली गयी है। ठेकेदार द्वारा उक्त दोनों कार्य कार्य मद हेतु क्रमशः ₹11400.00/Cum तथा ₹13450.00/Cum की दरें दी गयी।

---

[1] पत्रांक संख्या : 935(1)/XVIII(2)/15-12(II)/2014 दिनांक 30-03-2015 ₹1548.26 लाख।

2 मुख्य अभियंता के पत्रांक संख्या: 1002/19 याता (सिविल)-ग. क्षे. /2015 दिनांक 22-04-2015 ₹1548.26 लाख।

[3] The profile corrective course is a leveling course in varying thickness for correcting the existing pavement profile which has either lost its shape or has to be given a new shape to meet the requirements of specified lines grades or cross section.

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा जारी परिपत्र 120/02-अधिप्राप्ति/2012 दिनांक 14-02-2012 के अनुसार BM, SDBC, के कार्यो की निविदा आमंत्रित किए जाने पर उसमे Bitumen content और Density का उल्लेख कर कार्य निष्पादन के समय Job Mix Formula (JMF) डिज़ाइन कराया जाना अपेक्षित है। खंड द्वारा bitumen कार्य किए जाने से पूर्व पंतनगर विश्वविद्यालय से JMF Design कराया गया। JMF के अनुसार BM की density 2.120 gm/cm3 तथा Binder content by weight of total mix (VG-10) 3.5% तथा SDBC की density 2.24 gm/cm3 तथा Binder content by weight of total mix (VG-10) 5.2% derive की गयी। उपरोक्त परिपत्र के अनुसार ठेकेदार को भुगतान के समय density और Bitumen percentage का संज्ञान ले कर दर का समायोजन किया जाना चाहिए किन्तु खंड द्वारा JMF के अनुसार दरों का समायोजन किए बिना ही भुगतान की कार्यवाही की गयी परिणामस्वरूप ठेकेदार को **₹534986.00**= [(-277.8 x 4772.00) +(298.34 x 2316) (***Annexure-I***) का अधिक भुगतान किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा तथ्यो को स्वीकार करते हुए अवगत कराया गया कि, ठेकेदार का अंतिम देयक से वसूली की जाएगी। यद्यपि अंतिम भुगतान किया जाना शेष है किन्तु अंतिम देयक की राशि मात्र ₹23480 है। अतः खंड द्वारा बिटुमिन कार्य का भुगतान किए जाते समय JMF के अनुसार वसूली न किए जाने के कारण ठेकेदार को 5.43 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

अतः WBM(G-III) कार्य मद के साथ Undulation/PCC कार्य हेतु 433.13 cum BM का उपयोग/निष्पादन किए जाने के कारण 49.38 लाख का परिहार्य/अधिक व्यय किए जाने और ठेकेदार को भुगतान के JMF के अनुसार दर का समायोजन न किए जाने के कारण ₹5.43 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर:1- ₹194.41 लाख का अनौचित्यपूर्ण व्यय किए जाने के बावजूद समय से कार्य न पूर्ण किया जाना एवं ठेकेदार को ₹52.39 लाख का अनुचित लाभ प्रदान किया जाना।

शासन द्वारा SPA-R के अंतर्गत दुर्गाधार-बावई-तिलवाड़ा मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण कार्य हेतु ₹1548.26 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति[4] प्रदान (मार्च-2015) की गयी। कार्य की तकनीकी स्वीकृति[5] मुख्य अभियंता द्वारा समान राशि की प्रदान (अप्रैल-2015) की गयी। खंड द्वारा पुनर्निर्माण कार्यो के अंतर्गत WBM और बिटुमिनस कार्य(BM/SDBC), सुरक्षात्मक कार्य एवं ड्रैनेज कार्य हेतु पृथक-पृथक तीन अनुबंध गठित किए गए। WBM और BM/SDBC कार्य हेतु M/S O P Builders Rishikesh के साथ ₹1190.69 लाख का अनुबंध गठित (*04/SE/2015; Dated 11-06-2015*) किया गया। वर्तमान में ₹1108.79 लाख के व्ययोपरांत निर्माण कार्य प्रगति में है।

अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लो. नि. वि. रुद्रप्रयाग के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (फरवरी 2019) में निर्माण कार्य के प्रबंधन, अनुबंध गठन एवं निष्पादन में निम्न अनियमितता पायी गयी।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली -2008 के प्रस्तर-34[6] के अनुक्रम में विभाग द्वारा प्रतिवर्ष बाज़ार दरों के आधार पर दर अनुसूची (SoR) जारी किया जाता है। निविदा या अनुबंध गठन का आधार SoR ही होता है। लेखा परीक्षा जांच में पाया कि खंड द्वारा बिटुमिनस कार्य की निविदा का आमंत्रण वित्तीय प्रावधानों के विरुद्ध प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति से पूर्व किया गया। आमंत्रित निविदा के सापेक्ष एकल निविदा के आधार पर ठेकेदार के साथ स्वीकृत आगणन की लागत (`1061.03 लाख) एवं तत्समय लागू दर पर कार्य की लागत (`992.03 लाख) से क्रमशः 12.21% और 16.68% अधिक थी। उल्लेखनीय है कि, विभाग द्वारा अनुबंध स्वीकार किए जाने के दो सप्ताह पूर्व ही अनुसूची दर (SoR/*2015-16 effective from 01-05-2015*) का प्रचलित दरों/बाजार की दरों के आधार पर पुनरीक्षण किया गया था। विभाग द्वारा जारी नई दर अनुसूची में बिटुमिन की दरें काफी कम हो गयी थी। खंड द्वारा विभागीय दर से उच्च दर पर प्राप्त निविदा को निरस्त न कर विभागीय SoR जोकि दो सप्ताह पूर्व ही जारी किया गया था को दरकिनार कर Garhwal Truck Owner Association से पृथक ढुलान की दरें प्राप्त कर तथा ढुलान मे दरो की वृद्धि का हवाला देते हुए ठेकेदार की दरों को औचित्यपूर्ण दर्शाकर तथा पुनर्निर्माण कार्य की प्राथमिकता एवं समयबद्ध निस्तारण की आवश्यकता बताते हुए वर्तमान दरों से 16.68 % उच्च दर पर अनुबंध गठन की कार्यवाही की गयी, किन्तु कार्य समाप्ति की तिथि से 30 माह बीत जाने के बाद भी वर्तमान (01/2019) तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया।

इस प्रकार खण्ड प्रचलित बाज़ार दर का सही आकलन किए जाने में असफल रहा तथा अंतिम निष्पादित मात्रा हेतु ₹194.41 लाख (***Annexure-I***) का अनौचित्यपूर्ण व्यय किए जाने के बावजूद समय पर कार्य पूर्ण न किया जाना विभागीय हितो के प्रतिकूल है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि, तत्समय प्रचलित ढुलान दरों के आधार पर एकमात्र सफल निविददाता का औचित्यपूर्ण लागत का विवरण तैयार कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत अनुबंध गठित किया गया। खण्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध स्वीकार किए जाने के दो सप्ताह पूर्व ही अनुसूची दर (SoR) का प्रचलित दरों/बाजार की दरों के आधार पर पुनरीक्षण किया गया था।

अतः नई दर अनुसूची में बिटुमिन की दरें काफी कम हो जाने के कारण पृथक ढुलान की दरें प्राप्त कर तथा ढुलान मे दरो की वृद्धि का हवाला देते हुए ठेकेदार की दरों को औचित्यपूर्ण दर्शाकर निष्पादित मात्रा हेतु ₹194.41 लाख का अनौचित्यपूर्ण व्यय किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

---

[4] पत्रांक संख्या : 935(1)/XVIII(2)/15-12(II)/2014 दिनांक 30-03-2015 ₹1548.26 लाख।

5 मुख्य अभियंता के पत्रांक संख्या: 1002/19 याता (सिविल)-ग. क्षे. /2015 दिनांक 22-04-2015 ₹1548.26 लाख।

[6] Para No. -34 of Procurement Rule-2008 stipulate that the schedule of rates shall be revised as and when there is a marked fluctuation in the market rates for inputs. Ordinarily, it should be updated at least once a year. The schedule of rates shall be approved by the head of the organization. On the basis of these schedule rates, the bill of quantities should be prepared for calling of tender from the bidders.

लेखा परीक्षा जांच में यह भी पाया कि, कार्य पूर्ण किए जाने की नियत तिथि दिनाँक 10-06-2016 थी। ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय में कार्य पूर्ण नहीं किया गया। ठेकेदार द्वारा पत्रांक संख्या 2/4 दिनाँक 22-02-2016 के द्वारा 31-10-2017 तक की समय वृद्धि हेतु आवेदन किया गया। उक्त समय वृद्धि आवेदन पत्र के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा विभिन्न कारको[7] के आधार पर समय वृद्धि की मांग की गयी। खंड द्वारा उक्त कारको को औचित्यपूर्ण मानते हुए ठेकेदार को 31-10-2017 तक 0.05% अर्थदण्ड के साथ समय वृद्धि प्रदान की गयी। उपरोक्त कारको के अंतर्गत ठेकेदार को मार्ग में कलवर्ट एवं दीवार निर्माण कार्य का पृथक अनुबंध होने तथा निर्माण कार्य पूर्ण न किए जाने के कारण दिनांक 22-02-2016 से 15-08-2016 तक (175 दिनो) की समयवृद्धि प्रदान किया गया किन्तु कलवर्ट एवं दीवार निर्माण कार्य हेतु गठित अनुबंध के सापेक्ष निर्माण कार्य क्रमशः दिनांक 27-09-2015 एवं 20-05-2016 को समाप्त किया जा चुका था। अतः ठेकेदार को दिनांक 20-05-2016 से 15-08-2016 तक (88 दिनों) प्रदान की गयी समय वृद्धि पूर्णतः अनौचित्यपूर्ण है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 88 दिनों का Delay Contractor के पार्ट पर है। अतः ठेकेदार के ऊपर अनुबंध के Clause 46.1 (the LD for the whole work are (1/2000)th of the initial contract price, rounded off to the nearest thousand, per day.) के अनुसार 88 दिनों की LD **(₹5239000.00** = ₹119068807.54 लाख X 1/2000 X 88 दिन) आरोपित किया जाना चाहिए किन्तु खण्ड द्वारा अनुबंध के प्रावधानों से इतर अनुबंधित लागत पर 0.05% का अर्थदण्ड का आरोपण किया गया है। खण्ड द्वारा लेखा परीक्षा को वसूली से संबन्धित कोई भी देयक प्रस्तुत नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि,, उपरोक्त 88 दिन मानसून अवधि से संबन्धित है जिसमे डामरीकरण कार्य नहीं किया जा सकता है।

खण्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ठेकेदार द्वारा समय वृद्धि प्रपत्र के साथ प्रस्तुत Work Plan में उक्त अवधि में WBM कार्य का निष्पादन किया जाना अंकित किया गया है।

इस प्रकार 88 दिनो के Delay हेतु ठेकेदार उत्तरदायी है। अतः अनुबंध के प्रावधानों के अनुरूप ₹52.39 लाख का अर्थदण्ड न आरोपित कर ठेकेदार को अदेय लाभ पहुंचाए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

---

[7] *मुआवजा वितरण न होने के कारण(**73 दिन**), मार्ग में कलवर्ट एवं दीवार निर्माण कार्य का पृथक अनुबंध होने, कार्य पूर्ण न किए जाने (**175 दिन**), भुगतान असंतुलन (**129 दिन**), खनन पर रोक(**30 दिन**), वर्षाकाल (**30 दिन**)*

भाग- दो 'ब'

<u>प्रस्तर- 2:</u> रोड कटिंग चार्जेज़ को कम दरों पर वसूल किए जाने परिणामस्वरूप दूरसंचार फ़र्म को अनुचित लाभ प्रदान किए जाना, `9.71 लाख।

प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या-1099/10 प्रकीर्ण-उत्तराखंड/2016 दिनांक 22-09-2016 के माध्यम से विभाग के अधीन पड़ने वाले मार्गों पर दूरसंचार/विधुत विभाग/जल निगम/जल संस्थान एवं अन्य एजेंसियों द्वारा अपने कार्यों के सम्पादन हेतु मार्गों को काटे/खोदे जाने के परिणामस्वरूप हुई क्षति के ऐवज में उन्न एजेंसियों से वसूल किए जाने वाले रोड कटिंग चार्जेज़ का निर्धारण किया गया था। उक्त ज्ञाप के प्रावधानों के अनुसार मार्गों के बी.एम./एस.डी.बी.सी. से लेपित भाग में ओ.एफ़.सी. (Optical Fibre Cable) बिछाये जाने के लिए `3,728 प्रति वर्गमीटर दर तथा पी.सी./सीलकोट से लेपित भाग के लिए `2,755 प्रति वर्गमीटर की दर के वसूलनीय रोड कटिंग चार्जेज़ का निर्धारण किया गया था।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड (लो.नि.वि.), रुद्रप्रयाग के अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया था कि मै0 रिलायंस जियो इन्फोटेक फर्म द्वारा इस खण्ड के अधीन पड़ने वाले 'चिरबटिया-जखोली मोटर मार्ग' के 18.50 किमी. लम्बाई में ओ.एफ़.सी. बिछाई गई थी जिसके लिए फ़र्म से रोड कटिंग चार्जेज़ के रूप में `107.74 लाख (12 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित) वसूल किए गए थे। रोड कटिंग चार्जेज़ की मांग के लिए स्वीकृत एवं फ़र्म को प्रेषित आगणन (11/2017) के अनुसार उक्त 18.50 किमी. लम्बाई में से 17 किमी. लम्बाई (10,200 वर्गमीटर) में ओ.एफ़.सी. बिछाने की अनुमति कच्चे भाग के लिए थी जिसके लिए निर्धारित `700 प्रति वर्गमीटर दर से रोड कटिंग चार्जेज़ से प्रभारित/वसूल किए थे, जबकि मार्ग शेष 1.50 किमी. भाग (900 वर्गमीटर) को पी.सी./सीलकोट से लेपित दिखाया गया था जिसके लिए `2,755 प्रति दर से रोड कटिंग चार्जेज़ प्रभारित/वसूल किए गए थे। हालांकि, लेखा परीक्षा जांच में पाया गया था कि खंडीय अभिलेखों के अनुसार 'चिरबटिया-जखोली मोटर मार्ग' पी.सी./सीलकोट की बजाय बी.एम./एस.डी.बी.सी. से लेपित था जिसके लिए रोड कटिंग चार्जेज़ `3,728 प्रति वर्गमीटर दर से वसूल किए जाने चाहिए थे।

इस प्रकार लेखा परीक्षा में पाया गया था कि खंड द्वारा उक्त 1.50 किमी. लम्बाई अथवा 900 वर्गमीटर बी.एम./ एस.डी.बी.सी. लेपित भाग के लिए `973 प्रति वर्गमीटर की दर के साथ देय 12 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित कुल `9,80,784 के रोड कटिंग चार्जेज़ कम वसूल कर फ़र्म को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था। खण्ड द्वारा लेखा परीक्षा आप्पति पर उत्तर दिया गया था कि कम्पनी से कम लागत की क्षतिपूर्ति के संबन्ध में प्रस्ताव व दरों का परीक्षण किया जा रहा है यदि परीक्षण उपरान्त कम क्षतिपूर्ति की स्थिति पाई जाती है तो शेष धनराशि की वसूली हेतु मे0 जियो इन्फोटेक को लिखा/मांग की जाएगी। हालांकि, अन्य किसी जांच की आवश्यकता नहीं थी क्योकि खण्ड को मालूम है कि 'चिरबटिया-जखोली मोटर मार्ग' पी.सी./सीलकोट की बजाय बी.एम./एस.डी.बी.सी. से लेपित था।

अतः रोड कटिंग चार्जेज़ को कम दरों पर वसूल कर मै0 रिलायंस जियो इन्फोटेक को `9.81 लाख का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने का यह प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर का विवरण		
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)	STAN
1	38/2005-06	-	01, 02 & 03	-
2	19/2006-07	-	01	-
3	51/2007-08	-	01, 02 & 03	-
4	13/2011-12	01	01, 02 & 03	-
5	37/2012-13	01 & 02	01	-
6	04/2013-14	-	01, 02 & 03	-
7	92/2015-16	01, 02 & 03	01	-
8	101/2016-17	01	01	-
9	105/2017-18	-	01	01
	कुल	**07**	**17**	**01**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
खंड द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन आख्या उच्चाधिकारियों की संस्तुति सहित प्रस्तुत नहीं किया गया।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	इंद्रजीत बोस	अधिशासी अभियंता	विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक।

4. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1.	श्री आलोक कुमार	खण्डीय लेखाधिकारी	विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095 को प्रेषित किया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2